



2026:AHC:59062-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 27291/2025

रमाशंकर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रेम सागर वर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम सागर वर्मा तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2, 3, 4, 5 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. याचिकाकर्ता रामाशंकर ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना के साथ अनुरोध किया है:-

"i. प्रत्यर्थी प्राधिकारियों, विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 5 विवेचना अधिकारी को, इस माननीय न्यायालय द्वारा विहित की जाने वाली नियत समयावधि के भीतर, विधि के अनुसार, पीड़िता दीपाली को शीघ्रतम बरामद करने तथा मुकदमा अपराध संख्या 266/2025, अंतर्गत धारा 87 बीएनएस, थाना सराय अकिल, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत, दिनांक 07.10.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में निष्पक्ष एवं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निष्पक्षतापूर्ण विवेचना संपन्न करने हेतु निदेशित करने वाले परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निदेश निर्गत किया जाए;"

4. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 28.01.2026 को स्वीकारोक्ति हेतु आई थी तथा इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम सागर वर्मा तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2, 3, 4 एवं 5 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 16.01.2026 को स्वीकारोक्ति हेतु आई थी तथा इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम सागर वर्मा तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2, 3, 4 एवं 5 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. याचिकाकर्ता रामाशंकर, जो अभियोक्त्री का पिता हैं, ने वर्तमान आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना के साथ उपस्थिति दी है:-

"(i) प्रत्यर्थी प्राधिकारियों, विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 5 विवेचना अधिकारी को, इस माननीय न्यायालय द्वारा विहित की जाने वाली नियत समयावधि के भीतर, विधि के अनुसार, पीड़िता दीपाली को शीघ्रतम बरामद करने तथा मुकदमा अपराध संख्या 266/2025, अंतर्गत धारा 87 बी.एन.एस., थाना सराय अकिल, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत, दिनांक 07.10.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में निष्पक्ष एवं निष्पक्षतापूर्ण विवेचना संपन्न करने हेतु निदेशित करने वाले परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निदेश निर्गत किया जाए;"



4. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अभियोक्त्री का अभियुक्त/प्रत्यर्थी 6 द्वारा अपहरण किया गया है तथा उसे अभी तक बरामद नहीं किया गया है, साथ ही यह तथ्य कि तीन माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है, हम, अतएव, संबंधित उप पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी तथा उपर्युक्त उल्लिखित अपराध संख्या के विवेचना अधिकारी को मूल रोजनामचा आम सहित दिनांक 21.01.2026 को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु निदेशित करते हैं।"
4. उपर्युक्त दिनांक 16.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, श्री अभिषेक सिंह, क्षेत्राधिकारी, चायल, जनपद कौशाम्बी तथा उप-निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह, विवेचना अधिकारी, आज न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।
5. विद्वान ए.जी.ए. आगे निवेदन करते हैं कि विवेचना उन्नत प्रक्रम पर है, तथापि याचिकाकर्ता, जो प्रथम सूचनाकर्ता है, विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है।
6. जो भी हो, यह विचार करते हुए कि लापता व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिका है, हम, अतएव, याचिकाकर्ता को दिनांक 02.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे संबंधित थाने में विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निदेशित करते हैं।
7. विवेचना अधिकारी उक्त तिथि पर याचिकाकर्ता से समस्त वांछित सूचना प्राप्त करेंगे।
8. मामला दिनांक 09.03.2026 को नए सिरे से आदेशों हेतु पुनः प्रकट होगा।
9. अगली तिथि पर, यदि धारा 193(3) बी.एन.एस.एस. के अनुसार पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो संबंधित क्षेत्राधिकारी तथा विवेचना अधिकारी पुनः व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।"
5. उपर्युक्त दिनांक 28.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, संबंधित क्षेत्राधिकारी, अर्थात् अभिषेक सिंह तथा विवेचना अधिकारी, अर्थात् जितेंद्र कुमार सिंह, न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।
6. राज्य-प्रत्यर्थीगण 1, 2, 3, 4 एवं 5 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. ने उपर्युक्त अधिकारियों की ओर से रजिस्ट्री में व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विद्वान ए.जी.ए. तत्पश्चात निवेदन करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका की लंबितता के दौरान लापता बालिका बरामद कर ली गई थी तथा तत्पश्चात, धारा 193(3) बी.एन.एस.एस. के अनुसार अंतिम आख्या/पुलिस रिपोर्ट दिनांक 06.02.2026, संबंधित न्यायालय के समक्ष पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।
8. उपर्युक्त आधार पर, विद्वान ए.जी.ए. इस प्रकार निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास अब वर्तमान रिट याचिका को अनुरक्षित रखने हेतु कोई वाद-हेतुक विद्यमान नहीं रहा है। अतएव वर्तमान रिट याचिका निष्फल हो जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।
9. तत्पश्चात, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का, जैसा कि आदेश पत्रक से स्पष्ट है, अस्पष्ट संवाद के कारण अनुपालन नहीं किया जा सका। आज न्यायालय में उपस्थित पुलिस अधिकारियों सहित राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई है। वह, अतएव, निवेदन करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का अनुपालन, किसी जानबूझकर की गई लापरवाही अथवा विलंब के कारण नहीं, बल्कि अस्पष्ट संवाद के कारण नहीं हो सका। तथापि, वह निवेदन करते हैं कि दोनों अधिकारी न्यायालय को हुई असुविधा हेतु अपनी बिना शर्त क्षमायाचना प्रस्तुत करते हैं।
10. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण 1 से 5 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए.जी.ए. को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के पास अब वर्तमान रिट याचिका को अनुरक्षित रखने हेतु कोई वाद-हेतुक विद्यमान नहीं रहा है।
11. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका निष्फल हो जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।
12. यह इस प्रकार निष्फल हो जाने के कारण खारिज की जाती है।
13. क्षेत्राधिकारी तथा विवेचना अधिकारी के विरुद्ध जारी अजमानतीय वारंट वापस लिए जाते हैं। उपर्युक्त नामित पुलिस अधिकारी, जो आज न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, आदेश पत्रक पर अपनी उपस्थिति अनुसमर्थित करेंगे।



20 मार्च, 2026

आरती

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला)

(न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।